छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,नया रायपुर

कमांक एफ 4–28/सात–1/2014 रायपुर, दिनांक 19 मई,2014 24 MAY 2014

प्रति,

समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (कमांक 30 सन् 2013) के तहत राज्य शासन के अधिकारों का प्रत्यायोजन बावत ।

विषयान्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 (कमांक 30 सन् 2013) के अंतर्गत राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय के ज्ञापन कमांक एफ 4–28/सात–1/2014 दिनांक 05 मई, 2014 के माध्यम से जारी 06 अधिसूचनाओं के माध्यम से कमशः धारा 2 की उपधारा (3) के खण्ड (क), धारा 3 के खण्ड(एक) के उपखण्ड (छः) एवं (सात), धारा 3 के खण्ड (ड़) के उपखण्ड (पांच), धारा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, एवं 39, धारा 43 की उपधारा (1) तथा धारा 44 की उपधारा–2 के प्रावधानों के अनुसार भू–अर्जन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए यथा संभागीय आयुक्त, कलेक्टर, एवं अनुविभागीय अधिकारियों (उपजिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को अधिकार प्रत्यायोजित किये गये हैं । उपरोक्तानुसार छत्तीसगढ़ राजपत्र कमांक 20 दिनांक 05 मई, 2014 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नः–राजपत्र दिनांक 16 मई, 2014

23/5/14
(के.सी.वर्मा)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ0कमांक एफ 4–28/सात–1/2014 रायपुर, दिनांक 19 मई,2014 24 MAY 2014

प्रतिलिपिः–

1/ विशेष सहायक, मान0मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
2/ प्रमुख सचिव, राजभवन सचिवालय, छत्तीसगढ़ रायपुर
3/ प्रमुख सचिव, मान0 मुख्यमंत्री सचिवालय, छत्तीसगढ़ शासन,मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
4/ अवर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर।
5/ शासन के समस्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर
6/ सचिव, राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़ बिलासपुर
7/ संचालक, भू–अभिलेख छत्तीसगढ़ रायपुर
8/ राज्य सूचना अधिकारी,एन0आई0सी0मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर उपरोक्तानुसार राजपत्र दिनांक 16 मई, 2014 को राजस्व विभाग की वेबसाईट में अपलोड किए जाने हेतु प्रेषित।

23/5/14
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

N.I.C. STATE UNIT, RAIPUR No. 246 Date 26/5/14

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 मई 2014—वैशाख 26, शक 1936

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 01 मई 2014

क्रमांक ई 1-04/2014/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुबोध सिंह (भा.प्र.से.-1997) सचिव-सह-आयुक्त विमानन, सचिव, मुख्यमंत्री, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या. तथा संचालक व प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी को उनके वर्तमान दायित्व के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, खनिज साधन विभाग का प्रभार भी सौंपता है.

2. श्री एन. के. खाखा (भा.प्र.से. 2000), विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ, मर्या., प्रबंध संचालक, छ.ग. खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड तथा संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक आयुक्त, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास के पद पर पदस्थ किया जाता है. इसके

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (ङ) के उप-खण्ड (पांच) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, राज्य के जिलाधीशों को उनके अपने क्षेत्राधिकार में उक्त अधिनियम के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शित अनुसार, अर्जित की जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र. (1)	भूमि अर्जन का प्रयोजन (2)	निजी भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (3)	सक्षम प्राधिकारी (4)
1.	लोक प्रयोजन	1000 हेक्टेयर तक (अर्थात् 2470 एकड़)	जिलाधीश

No. F4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (v) of clause (e) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, notifies the maximum limit of land to be acquired for public purpose under the said Act by the Collector of the State in their respective jurisdiction, as shown in column (3) of the Schedule below, namely :—

S. No. (1)	The purpose of land acquisition (2)	The area proposed for acquisition of private land (3)	Competent Authority (4)
1.	Public Purpose	upto 1000 hectares (2470 acres)	Collector

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (छ) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की धारा 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 एवं 39 के अंतर्गत जिलाधीश की शक्तियों के निर्वहन के लिए, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, भू-अर्जन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए अभिहित करती है.

No. F4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by clause (g) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, Designates all Sub-Divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) to perform powers of the Collector under section 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 and 39 of the said Act for disposal of cases relating to land acquisition within their respective jurisdiction.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 2 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में निजी कंपनी द्वारा क्रय की गई भूमि की निम्नानुसार सीमाएं निर्धारित करती है, अर्थात् :—

(1)	नगरीय क्षेत्र	2.00 हेक्टेयर
(2)	ग्रामीण क्षेत्र	4.00 हेक्टेयर

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 2 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, prescribes the limits of land to be purchased by private company in rural and urban areas as follows, namely :—

(1)	Urban Area	2.00 Hectares
(2)	Rural Area	4.00 Hectares

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सभी अनुविभागीय अधिकारियों (उप-जिलाधीश/संयुक्त जिलाधीश) को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करती है.

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 43 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, appoints all Sub-Divisional Officers (Deputy Collector/Joint Collector) with their respective jurisdiction as Administrator for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (एक) के उपखण्ड (छः) एवं (सात) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक व्यय विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

स. क्र.	प्रयोजन	व्यय
(1)	(2)	(3)
1.	भू-अर्जन पर सेवा शुल्क	प्रतिकर का 5%

(1)	(2)	(3)
2.	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन का प्रशासनिक व्यय	पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन प्रतिकर का 5%
3.	सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन	रुपये 5 लाख या वास्तविक व्यय, जो भी अधिक हो.

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (vi) and (vii) of clause (i) of Section 3 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013). State Government, hereby, specifies the administrative cost for the purposes mentioned in column (2) of the Schedule below, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	Purpose (2)	Costs (3)
1.	Service charges of Land Acqusition	5% of the Compensation
2.	Administrative coste of Rehabilitation and Resettlement.	5% of the Rehabilitation and resettlement compansation.
3.	Social impact assesment study	5 lakh Rupees or actual expenditure, which is more.

रायपुर, दिनांक 5 मई 2014

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 44 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सभी संभागीय आयुक्त को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत, उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में नियुक्त करती है.

No. F 4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government hereby, oppoints all Divisional Commissioner within their respective jurisdiction as Commissioner for Rehabilitation and Resettlement for the purposes of the said section.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहलानी, संयुक्त सचिव.